न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम, किशनगंज।

उपस्थितः— सुरेश कुमार सिंह — II

निर्णय की तिथिः— 01.07.2026

सत्र वाद संख्या— 93/2026

C.I.S No.- 93/2026

प्रथम ईतला रिर्पोट संख्या— 21/2026 थाना— पहाड़कट्टा, जिला— किशनगंज।

सूचिका — सगुफता बेगम, पति — गुलाम समदानी, साकिन— डुमरमनी, थाना— पहाड़कट्टा, जिला— किशनगंज। .....अभियोजन।

द्वारा प्रस्तुति— श्री सोरेन प्रसाद साह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

अभियुक्तः—	1. गुलाम जिलानी।
द्वारा प्रस्तुति—	विद्वान अधिवक्ताः— श्री दीपक कुमार सहनी।

अपराध की तारीखः—	31.01.2026
प्रथम ईतला रिर्पोट की तिथिः—	31.01.2026
आरोप पत्र समर्पित की तिथिः—	28.02.2026
आरोप गठन की तिथिः—	17.04.2026
धारा—313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः—	16.06.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः—	23.06.2026
निर्णय की तिथिः—	01.07.2026
दण्डादेश की तिथिः—	

Accused Details:-

Rank of the Accused	A-1
अभियुक्त का नाम एवं पताः—	1. गुलाम जिलानी, पिता— स्व0 शारफुद्दीन, साकिन— डुमरमनी, थाना— पहाड़कट्टा, जिला— किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः—	01.02.2026
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः—	N/A
चार्जः—	U/S- 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 74, 352, 351(2) of BNS.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः—	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः—	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
P.W- 1	गुलाम रमजीन उर्फ गुलाम समदानी	अन्य साक्षी
P.W- 2	Xyz (Victim)	सूचिका सह पीड़िता साक्षी।
P.W- 3	मो0 कुर्बान अली	अन्य साक्षी
P.W- 4	शाहनवाज हुसैन	अन्य साक्षी
P.W- 5	इरफान आलम	अन्य साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–</u>

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	**प्रदर्श संख्याः**	**विवरण**
01	प्रदर्श– P-1/PW-2	टंकित आवेदन पर साक्षी का हस्ताक्षर।

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	**प्रदर्श संख्याः**	**विवरण**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त काराधीन अभियुक्त गुलाम जिलानी के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 74, 352, 351(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है जिसे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग किए।

2. सूचिका द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि दिनांक 31.01.2026 को समय करीब 12.00 बजे दिन मे विपक्षीगण सूचिका एवं इनके परिवार के लोगों को बेवजह गाली गलौज कर घर से निकल जाने की घमकी देने लगे जब इनका पति इसका विरोध किये तब गुलाम जिलानी घातक हथियार से इनके पति के सिश्र पर जान मारने की नियत हमला किया जिससे उनका सिर फट गया तथा बेहाश होकर जमीन पर गिर गये तथा इनका हाथ तोड़ दिया। सूचिका का कपड़ा लत्ता फाड़कर उसको अर्द्धनग्न कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दिया। उसके पश्चात् सूचिका द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर पहाड़कट्टा थाना कांड संख्या 21/2026 दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त गुलाम जिलानी के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 74, 352, 351(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 39/2026, दिनांक 28.02.2026 को विद्वान एस.डी.जे.एम, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् सत्र न्यायालय में सत्र वाद दर्ज हुआ तथा वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय मे स्थानान्तरीत किया गया। दिनांक 17.04.2026 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त गुलाम जिलानी के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 74, 352, 351(2) बी.एन.एस. में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे वे इंकार किये एवं विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 05 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 गुलाम रमजीन उर्फ गुलाम समदानी, अभियोजन साक्षी संख्या 02 xyz (सूचिका सह पीड़िता), अभियोजन साक्षी संख्या 03 मो0 कुर्बान अली, अभियोजन साक्षी संख्या 04 शाहनवाज हुसैन एवं अभियोजन साक्षी संख्या 05 इरफान आलम हैं।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में टंकित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– P-1/PW-2 अंकित किया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2026 को अभियुक्त का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किया तथा अपने को निर्दोष बताया।

8. बचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहा हैं ?

<u>मन्तव्य</u>

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 05 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। सर्वप्रथम मामले की सूचिका के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 Xyz (सूचिका) हैं इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि घर का विवाद हुआ था उसके सम्बन्ध मे थाना मे आवेदन दी थी जिस पर इन्होंने हस्ताक्षर की थी। आगे इन्होंने कही है कि इन्होंने पुलिस के समक्ष बयान नहीं दी थी। प्रतिपरीक्षण के क्रम में पारा 04 मे साक्षी ने कही है कि जमीनी विवाद को लेकर केस हुआ था। आवेदन पढ़कर नही सुनाया गया था। सिर्फ हस्ताक्षर की थी। आपस मे बातचीत हुआ था उसी दौरान गिरने से इन्हें एवं इनके पति को चोट लग गया था। अभियुक्त से इन्हें कोई शिकायत नहीं है। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 01 गुलाम रमजीन उर्फ गुलाम समदानी है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घटना के वक्त खेत से घर आये तो देखे कि इनके घर के आगे बकरी बंघा हुआ था। दोनो पक्षो के बीच झगड़ा हो गया जिससे इनका हाथ टुट गया था। प्रतिपरीक्षण के क्रम मे पारा 03 मे साक्षी ने कहा है कि घर दोनो भाई मिलकर बनाये थे। बटवारा को लेकर विवाद हुआ था। अभियुक्त से सिर्फ बाताबाती हुआ था। बाताबाती के दौरान दोनो को गिरने से चोट लगा था। पारा 04 मे साक्षी ने कहा है कि जो भी विवाद था वह हल हो गया है और बटबारा मे इन्हे घर मिल गया है। अब इन्हे अभियुक्त से कोई शिकायत नहीं है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 03 मो0 कुर्बान अली है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इन्हें घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 04 शाहनवाज हुसैन है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इन्हें घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 05 इरफान आलम है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि इन्हें घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में सूचिका एवं अन्य साक्षियों ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त निर्दोष है उसे दोषमुक्त किया जाए।

16. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या 03 मो0 कुर्बान अली, अभियोजन साक्षी संख्या 04 शाहनवाज हुसैन एवं अभियोजन साक्षी संख्या 05 इरफान आलम है। इन तीनो साक्षियों ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से अभियोजन द्वारा इन तीनो साक्षियों को

पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 गुलाम रमजीन उर्फ गुलाम समदानी है इन्होंने साक्ष्य के दौरान पारा 04 मे कहा है कि जो भी विवाद था वह हल हो गया है और बटबारा मे इनको घर मिल गया है। अब इन्हें अभियुक्त से कोई शिकायत नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 सूचिका है इन्होने साक्ष्य के दौरान पारा 04 मे कहा है कि जमीनी विवाद को लेकर केस किये है। आवेदन इन्हें पढ़कर नहीं सुनाया गया था। आपस मे सुलह हो गया है। बाताबात के दौरान गिरने से इन्हें तथा इनके पति को चोट लग गया था। अब इन्हें अभियुक्त से कोई शिकायत नहीं है। जिस मामले मे सूचिका एवं अन्य साक्षियों ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है तब इस केस मे अन्य साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

17. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन काराधीन अभियुक्त गुलाम जिलानी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 74, 352, 351(2) बी.एन.एस. को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

काराधीन अभियुक्त गुलाम जिलानी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 74, 352, 351(2) बी.एन.एस. से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त गुलाम जिलानी कारा अभिरक्षा मे निरूद्ध है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उसके मुक्ति हेतु मुक्ति आदेश निर्गत करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवंअपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 01.07.2026

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 01.07.2026

Date of Judgment/Order	01-07-2026
Date of reserving judgment/order	23-06-2026
Uploading Date	01-07-2026
Uploaded by	Deposition Writer